यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक**, **पशुपालन विभाग**, **देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

निदेशक, **पशुपालन विभाग**, **देहरादून** के माह 12/2015 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री के॰पी॰ सिंह/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 05/02/2019 से 16/02/2019 तक श्री ए॰के॰ भारतीय/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप/स॰ले॰प॰अ॰ एवं श्री आर॰एन॰ यादव/स॰ले॰प॰अ॰ द्वारा दिनांक 17.12.2015 से 18.12.2015 तक श्री वी॰एस॰ पँवार/वरि॰ले॰प॰अ॰ के पूर्ण पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2014 से 11/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** उत्तराखंड स्थित पशुपालन विभाग के अधीनस्थ समस्त अधिष्ठान तथा विभागाध्यक्ष से संबंधित कार्य एवं अधिकार।

(ii) (अ) विगत चार वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(रु लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	(2403)	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	(001)	-	-	12.8450	12.3872	0.6323	0.5375	-	0.5525
	(106)			0.4150	0.3720	0.0845	0.0771		0.0504

2016-17	(001) (106)	-	-	16.4640 0.4939	13.5359 0.3830	0.5735 0.0799	0.5543 0.0753	-	2.9773 0.1155
2017-18	(001) (106)	-	-	16.6404 0.4920	16.1059 0.4747	0.6168 0.0844	0.6012 0.0809	-	0.5501 0.0208
2018-19 (up to 01/19)	(001) (106)	-	-	18.1330 0.5407	14.1407 0.4024	0.7495 0.0993	0.4981 0.0672	- -	- -

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2015-16	कुल 07 योजनाए	-	987.18	924.18	-	63.00
2016-17	कुल 07 योजनाए	-	591.37	579.29	-	12.08
2017-18	कुल 10 योजनाए	-	802.12	767.98	-	34.14
2018-19 (01/2019 तक)	कुल 12 योजनाए	-	4270.81	3306.72	-	-

(स) राज्य पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2015-16	विभिन्न योजनाए	-	1726.020	1674.269	-	51.750
2016-17		-	1595.777	1558.572	-	37.205
2017-18		-	18996.662	18399.317	-	597.344
2018-19 (01/2019 तक)		-	20650.767	15871.818	-	-

नोट- राज्य पुरोनिधानित योजनाओं में वेतन अधिष्ठान की धनराशि भी शामिल है।

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'अ'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून
––निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - ब

प्रस्तर :1 बिना निविदा किये धनराशि रू0 84.59 लाख की दवा क्रय किये जाने का आदेश जिलों में दिया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रकीर्ण 10 के अनुसार 25 लाख से अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित्र की जानी चाहिए 2.निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एन0आई0सी0 की वेबसाईट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए। 3. निविदा पृच्छा से सम्बन्धित सभी दस्तावेज ,जिनमें निविदा की शर्ते और निबन्धन, अनुबन्ध का प्रारूप, सामग्री का विवरण और गुणवत्ता आदि होगी, पहले से तैयार किए जाए। यदि वेबसाईट में रखे गए दस्तावेजों का कोई मूल्य हो तो निविदाताओं के लिए स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि निविदाए प्रस्तुत करते समय उस मूल्य का भुगतान वैक डाट पर सरकार की ई – बैकिंक सुविधाओं, यदि कोई है द्वारा किया जाए।

निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि जिलों के वर्ष 2017–18 मॉग के अधार पर रू0 84.59 लाख की दवा का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन करते हुए विभाग द्वारा किया जाना चाहिए था। किन्तु विभाग ने उक्त नियम का पालन नहीं करते हुए जिलों में धनराशि रू0 84.59 लाख की दवा क्रय करने हेतु अनुमति प्रदान किया गया था जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विपरीत था

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में विभागीय पुल नीति शासन स्तर पर लंबित होने के करण वर्ष 2017–18 में औषधि क्रय वर्ष 2016–17 में ई– निविदा द्वारा अनुमोदित दरों पर किया गया। वर्ष 2016–17 में निविदाए जनवरी 2017 में पूर्ण कर औषधि दरों एक वर्ष हेतु **अनुमोदित** की गई थी तथा वर्ष 2017–18 में विशेष परिस्थितियों में निविदा न हो पानें के करण निविदा शर्तों में किये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक द्वारा वर्ष 2016–17 की औषधि दरों को 6 माह हेतु वैद्य किया गया। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रकीर्ण 10 के अनुसार 25 लाख से अधिक की **सामग्री** क्रय करने के लिए उक्त अधिप्राप्ति नियमावली के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक था।

अतःविभागीय शिथिलता एवं उदासीनता के कारण बिना निविदा किये धनराशि रू0 84.59 लाख की दवा क्रय किये जाने का आदेश जिलों में दिया जाने का प्रकारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर :1 धनराशि रू0 483.59 लाख से निर्मित प्रशासनिक भवन का बिना लिफ्ट लगे कार्यदायी संस्था से हैन्ड ओवर तथा टेकन ओवर किया जाना तथा रू0 48.15 लाख अन्य कार्यों में व्यय किया जाना।

शासन के क्रमशः पत्र संख्या 380, 1658, 732,624,831,992,43,129,415, 259 के द्वारा राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत मोथरा वाला, देहरादून में विभागीय भूमि में पशुपालन निदेशालय के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु आंकलित धनराशि रू0 483.59 लाख, के सापेक्ष क्रमशः रू0 100 लाख, रू0 150 लाख, रू0 50 लाख, रू0 15 लाख, रू0 15 लाख, रू0 30 लाख, रू0 50 लाख, रू0 50 लाख, रू0 23 लाख, रू0 48.15 लाख वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त निर्माण कार्य हेतु उक्त धनराशि अवमुक्त किया गया था।

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उक्त कार्यालय के क्रमशः दिनॉक 25.03.13, 17.12.13, 14.07.13, 22.07. 15,16.10.15., 09.12.2015, 20 जनवरी, 2016, 19 फरवरी, 2016, 26 मई, 2016, 22 मार्च, 2017 के द्वारा क्रमशः रू0 100 लाख, रू0 150 लाख, रू0 50 लाख, रू0 15 लाख, रू0 15 लाख, रू0 30 लाख, रू0 50 लाख, रू0 50 लाख, रू0 23 लाख, रू0 48.15 लाख अर्थात कुल रू0 531.15 लाख उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराया गया था। रू 360 लाख प्राप्त होने के बावजूद जुलाई, 2015 तक केवल 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया था जबकि उक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने की अन्तिम तिथि 06/2016 थी।

आगे लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा रू0 599.67 लाख पुनरीक्षित ऑगणन लेबर दर में वृद्धि होने के कारण प्रेषित किया गया था जिसे शासन ने अलग–अलग अपूर्ण कार्यों के विवरण देते हुए पुनः प्रस्तुत करने को कहकर पुनरीक्षित ऑगणन को संस्वीकृति देने से मना कर दिया था। ततपश्चात कार्यदायी संस्था ने रू0 50.64 लाख का पुनरीक्षित ऑगणन उक्त निर्मित भवन में लिफ्ट आदि अन्य कार्यों के लिए प्रेषित किया था, जिसे शासन ने 22 मार्च, 2017 को रू0 48.15 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकति प्रदान करते हुए रू0 48.15 लाख अन्य कार्यों के लिए आंवटित किया था जो कि लेबर दर में वृद्धि होने के कारण अपेक्षित पुनरीक्षित ऑगणन धनराशि रू0 599.67 लाख व्यय के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना चाहिए था न कि अन्य कार्यों के लिए।

कार्यदायी संस्था द्वारा लिफ्ट के अलावा अन्य कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। किन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक बिना लिफ्ट लगे कार्यदायी संस्था से भवन का हैंन्ड ओवर अथवा टेकन ओवर

दिनॉक 29.12.2017 को करके उक्त भवन में ऑफिस कार्य विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा हैं।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि रू0 48.15 लाख कार्यदायी संस्था को **लिफ्ट** लगाने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया बल्कि अतिरिक्त कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि अन्य कार्यों तथा **लिफ्ट** लगाने हेतु रू0 48.15 लाख का पुनरीक्षित ऑगणन रू0 599.67 लाख के पुनरीक्षित ऑगणन के स्थान पर अलग से स्वीकृति के आधार पर कराया जाना अनुचित पूर्ण था **तथा लिफ्ट लगाने का कार्य अपूर्ण था।**

अतः धनराशि रू0 483.59 लाख से निर्मित प्रशासनिक भवन का बिना लिफट लगे कार्यदायी संस्था से हैन्ड ओवर तथा टेकन ओवर किया जाना तथा रू0 48.15 लाख मूल ऑगणन के कार्यों के स्थान पर अन्य कार्यों में व्यय किये जाने का प्रकारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	71/2012-13	01	1,2,3	-
2.	29/2014-15	-	1	-
3.	90/2015-16	-	2, 3	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			साक्ष्य के अभाव में विगत लेखापरीक्षा अनुपालन आख्या के अनिस्तारित समस्त प्रस्तरों को यथावत रखने संस्तुति की जाती है ।	

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तमकार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) **श्री संजीव कुमार सिंह/वरिष्ठ वित्त अधिकारी की सेवापुस्तिका**

2. **सतत् अनियमितताएं :**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0 नाम पदनाम

(1) डा॰ कमल मेहरोत्रा/निदेशक (विगत लेखापरीक्षा से 30.06.2016 तक)

(2) डा॰ एसएस बिष्ट/निदेशक (01.07.2016 से 28.02.2018 तक)

(3) डा॰ केके जोशी/निदेशक (01.03.2018 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही ंहो सका उन्हे नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में ंसम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड,, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2